

Order Sheet [Contd]

Case No 387/17 बी0ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.11.2017	<p>पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश। <u>आवेदिका</u> / अभियुक्त श्रीमती रामश्री बाई द्वारा श्री हृदेश शुक्ला उपस्थित। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित। थाना गोहद के अपराध क्रमांक <u>262/17</u> अंतर्गत धारा 420 एवं 409 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त। आवेदिका की ओर से सूची सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नकल दिखाई गई। आवेदिका के आवेदन के समर्थन में आवेदिका श्रीमती रामश्री बाई के पुत्र बेटाल सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदिका का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है। आवेदिका श्रीमती रामश्रीबाई के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये। आवेदिका की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि वह ग्राम हडियापुरा ग्राम पंचायत कल्यानपुरा की सरपंच है तथा महिला है। आवेदिका की आयु 50 वर्ष होकर वह हरिजन सामाज की है। आवेदिका के ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा अनियमितताएं की गई थीं। जिनकी शिकायतें यथा समय आवेदिका द्वारा कलेक्टर महोदय मण्डल भिण्ड को की गई थी। कलेक्टर महोदय भिण्ड के द्वारा सी.ई.ओ. गोहद को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निर्देशित किया गया था। आवेदिका द्वारा अपने अपने आवेदनपत्र में स्पष्ट रूप से सचिव के द्वारा किए गए अनैतिक एवं अवैध कार्यों के लिए कार्यवाही करने के लिए निवेदन पूर्व से ही किया जाता रहा है। उसके पश्चात भी विराधियों से मिलकर फर्जी तरीके से उसके विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। कथित अपराध से आवेदिका का किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदिका ग्राम पंचायत की सरपंच होकर प्रतिष्ठित महिला है। राजनैतिक विद्वेष के कारण आवेदिका की प्रतिष्ठा समाप्त करने के उद्देश्य से आवेदिका को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है। उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार ग्राम कल्यानपुरा में विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत कल्यानपुरा के माध्यम से स्वीकृत राशि 22,63,009/-रुपए के विभिन्न ई.पी.ओ. के संबंध में सचिव दिलीप सिंह गुर्जर एवं आवेदिका श्रीमती रामश्री बाई के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर कर उक्त राशि आहरित कर ली गई। मौके पर मुख्य कार्यपालन</p>	

अधिकारी श्री श्याममोहन श्रीवास्तव द्वारा जांच की गई। जिसमें स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य न होना पाया गया। इस प्रकार रामश्री बाई एवं दिलीप सिंह गुर्जर के द्वारा उपरोक्त शासकीय धनराशि का अपराधिक न्यासभंग (गबन) दिनांक 12.03.17 से दिनांक 23.08.17 तक किया गया एवं छल किया गया। जिसके संबंध में जांच रिपोर्ट दी गई एवं थाना गोहद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदिका की ओर से कार्यालय कलेक्टर के द्वारा रामश्री को लिखे गए पत्र, रामश्री द्वारा कलेक्टर को, थाना प्रभारी को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखे गए पत्र तथा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में आगामी तारीख देने का पत्र, पेपर कटिंग, कथन आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिनका परिशीलन किया गया। आवेदिका की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया कि गबन सचिव दिलीप सिंह गुर्जर के द्वारा किया गया है। आवेदिका के द्वारा तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एवं अन्य जगह गबन की शिकायत की गई है। केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी ली गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सरपंच एवं सचिव ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हैं जिनके नमूने हस्ताक्षर की प्रति भी संलग्न की गई है। आवेदिका के द्वारा अपराध किया गया अथवा नहीं, उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए अथवा नहीं यह गुणदोष का प्रश्न है, जो इस स्तर पर नहीं देखे जा सकते। प्रथम दृष्टि में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर राशि आहरित किया जाना प्रकट हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध की प्रकृति एवं स्वरूप, गबन की गई राशि 22,66,009/-रुपए को तथा आवेदिका के विरुद्ध आक्षेपों को देखते हुए आवेदिका को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका श्रीमती रामश्री बाई का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित वापिस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद जिला भिण्ड